अध्याय-1

भूमिका

1. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का संगठन एवं कार्य क्षेत्र

परिषद् देश का एक प्रमुख वानिकी अनुसंधान संगठन है। इसे वानिकी अनुसंधान को प्रतिपादित, सुगठित, निदेशित एवं संचालित करने; राज्यों तथा अन्य उपयोगकर्त्ता एजेन्सियों को विकसित की गई प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण और वानिकी शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

परिषद् के मुख्य उद्देश्य हैं :

(क) वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग के लिए सहायता और प्रोत्साहन देना तथा समन्वयन करना।

(ख) वानिकी तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना केन्द्र को विकसित करना और उसका रखरखाव करना।

(ग) वनों और वन्य प्राणियों से सम्बन्धित सामान्य सूचना और अनुसंधान के लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(घ) वानिकी विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उन्हें जन-संचार, श्रव्य-दृश्य माध्यमों और विस्तार मशीनरी द्वारा प्रसारित करना।

(ङ) वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(च) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्र के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में परिषद् के 8 अनुसंधान संस्थान और 3 उन्नत केन्द्र हैं। ये केन्द्र देहरादून, शिमला, इलाहाबाद, रांची, जोरहाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, जोधपुर, हैदराबाद, बंगलौर एवं कोयम्बटूर में स्थित हैं। इन केन्द्रों के कार्यकलापों का वर्णन आगामी अध्यायों में किया गया है।

2. अनुसंधान सूत्रपात

वर्तमान वानिकी अनुसंधान में आनुवंशिक एवं वन संवर्धनिक सुधार द्वारा उत्पादकता बढ़ाकर और काष्ठ विकल्पों को उपलब्ध करके प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने; बंजर भूमि के उपचार द्वारा पारि-सुधार; वन पारितंत्रों के संरक्षण; जनजातीय विकास और सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया है।

संसाधनों के दबाव को देखते हुए यथोचित प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के बाद एक व्यापक राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना (एन. एफ. आर. पी.) विकसित की गई। संघ के विभिन्न राज्यों में गोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित करके तथा इसके बाद राष्ट्रीय कार्यशाला करके पणधारियों के परामर्श से क्षेत्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया। परियोजनाऐं और संसाधन आबंटन निर्धारित करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समितियां गठित की गई है, जिसमें सभी राज्य वन विभागों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

वनीकरण/पुनर्वनरोपण उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता रोपण स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों के बीज उत्पादन क्षेत्रों, क्लोनीय बीजोद्यानों, पौध बीजोद्यानों और कायिक गुणन उद्यानों की स्थापना के लिए, धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जड़ ट्रेनर के साथ आधुनिक पौधशाला कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्तमान अनुसंधान क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह पौधशाला स्टॉक के उत्पादन और क्षेत्र में इनकी स्थापना व वृद्धि में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देगा।

यदि राज्य भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अनुसंधान कार्यक्रमों में सक्रियता एवं अत्यधिक भागीदारी करें तो वे अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं और उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं का स्वयं उपयोग कर सकते है। ये सुविधाएं बिना अधिक निवेश किए परिषद् के विभिन्न संस्थानों में वहन योग्य लागत पर उपलब्ध हैं। इनमें परिषद् द्वारा स्थापित अत्यन्त परिष्कृत उपकरणों के उपयोग, जिन्हें स्थापित करने में राज्य असमर्थ है, शामिल है।

परिषद् प्रायोजित अनुसंधान भी स्वीकार करती है ।

3. प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण (विस्तार कार्यकलाप)

राज्य सरकारों, वन आधारित उद्योगों, बेरोजगार युवकों तथा अन्य उपयोगकर्ता अभिकरणों के लिए, परिषद् द्वारा विकसित पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, अपनी आय बढ़ाने के असाधारण अवसर उपलब्ध हैं। ये प्रौद्योगिकियां देश के वन संसाधनों एवं जैव-विविधता के संरक्षण में एक लम्बा रास्ता भी तय करेंगी।

वर्तमान में, चालीस परीक्षित प्रौद्योगिकियां हस्तान्तरण के लिए उपलब्ध हैं। ये कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत उगाई गई गौण रोपण प्रजातियों के उपयोग, उत्पादों में उपयोगिता परिवर्धन, वन उत्पादकता में सुधार करने, अल्प उत्पादों के नए उत्पाद/विकल्प और पर्यावरणीय संरक्षण/सुधार से सम्बन्धित हैं।

इसके अतिरिक्त, परिषद् विस्तार सहायता निधि के अन्तर्गत इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं में वित्त प्रबन्ध कर इन्हें अपनाने में राज्यों की सहायता कर रही है। इन परियोजनाओं में उद्यमशीलता के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और उपयोगकर्ताओं एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

इस समय राज्यों के पास विस्तार के व्यवहार्य साधन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि वे विस्तार अवसंरचना विकसित करने के लिए इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दें तथा अनुसंधान परिणामों के लाभ लोगों को उपलब्ध कराएं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र जानकारी का भण्डार है। यह इलेक्ट्रानिक नेटवर्क द्वारा राज्य वन विभागों, विश्वविद्यालयों आदि को जानकारी उपलब्ध कराता है अभिलेखों के त्वरित भण्डारण एवं पुन: प्राप्ति को सरल बनाने के लिए पूर्ण संदर्भिका ब्योरों के साथ वानिकी पर ग्रे साहित्य को एकत्रित एवं कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। परिषद् ने अपने स्वयं का वेब साइट शुरू किया गया जिसे विश्वभर में http://www.icfre.up.nic.in पर देखा जा सकता है।

4. **वानिकी शिक्षा**

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वानिकी अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सुविज्ञता उपलब्ध कराने एवं अनुसंधान की गति तेज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वानिकी पाठ्यक्रमों का विकास तथा वानिकी शिक्षा प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है।

वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को अवसंरचना एवं तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायक अनुदान दिया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को 200 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई।

वनविदों/वैज्ञानिकों एवं अन्यों की वानिकी के क्षेत्र में शैक्षिक प्रगति के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 लोगों को अन्तिम रूप से पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई। वरिष्ठ अध्येता, कनिष्ठ अध्येता तथा शोध सहायकों की संख्या क्रमश: 23, 107 और 16 थी।

परिषद् ''वानिकी'' (अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन) तथा ''काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'' में दो वर्ष की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अतिरिक्त, ''कागज एवं लुगदी प्रौद्योगिकी'' में एक वर्ष की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

वनविदों/वैज्ञानिकों के लिए वानिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान विधियों में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा-विश्व बैंक, यू.एन.डी.पी., एफ.ए.ओ., आई.डी.आर.सी., यू.एस.डी.ए. आदि के सहयोग से विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

अनुसंधान प्रबन्धन, मानव संसाधन विकास, कम्प्यूटर दक्षता एवं अनुसंधान कार्य पद्धति जैसे सामयिक विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।